राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः एफ 14 ( ) परि/ भण्डार/2020–21 /3070   जयपुर, दिनांकः 10.02.2020

सीमित निविदा सूचना

परिवहन विभाग मुख्यालय, जयपुर में निम्नलिखित कार्य करवाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (राशि रूपये लाखों में)	धरोहर राशि रूपये	निविदा फार्म शुल्क	टेण्डर जमा कराने की अंतिम तिथि
1.	परिवहन मुख्यालय में फोटो स्टेट कार्य	1.90	NIL	200/-	17.02.2020

निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्ते विभाग की वेबसाइट ***www.transport.rajasthan.gov.in*** एवं ***State public procurement portal*** से डाऊनलोड़ की जा सकती है।

उक्त कार्य हेतु निविदा मुहरबन्द लिफाफे में जिन पर स्पष्ट रूप से "फोटोस्टेट कार्य हेतु निविदा" लिखा हो, आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान जयपुर के कार्यालय में निर्धारित तिथि दोपहर 1.00 बजे तक जमा की जायेगी। निविदा उसी दिवस को अपराह्न 3.00 बजे विभागीय उपापन समिति द्वारा निविदादाताओं या उसके अधिकृत प्रतिनिधि, जो उपस्थित हो, के समक्ष खोली जायेगी।

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

क्रमांकः एफ 14 (   ) परि/ भण्डार/2020–21 /3071– 3076 जयपुर, दिनांकः 10.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अति निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा.), परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. सिस्टम एनालिस्ट, मुख्यालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
5. नोटिस बोर्ड।
6. रक्षित पत्रावली।

उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.)

कार्यालय, परिवहन आयुक्त, राजस्थान,जयपुर

निविदा प्रपत्र

1. कार्य का नामः परिवहन भवन फोटो स्टेट कार्य के लिये निविदा।
2. निविदादाता का नाम ....एवं पत्राचार का पता ....
3. निविदा प्राप्तकर्ताः– उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.), राजस्थान,जयपुर।
4. संदर्भ – निविदा सं0 :– एफ 14 ( ) परि/ भण्डार/2020–21 दिनांक ....
5. परिवहन विभाग द्वारा जारी की गई निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्तें जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत हैं (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये हैं)
6. फोटो कॉपी किये जाने हेतु हमारी दरे निम्न प्रकार होगी :–

फोटो स्टेट कार्य का विवरण	दर (कागज, मशीन मय ऑपरेटर, कर एवं अन्य व्ययों सहित	
	अंको में	शब्दो में
लीगल साइज सिंगल साईड 75 जी.एस.एम. पेपर		
लीगल साइज डबल साईड 75 जी.एस.एम. पेपर		
A 4 सिंगल साईड 75 जी.एस.एम. पेपर		
A 4 डबल साईड 75 जी.एस.एम. पेपर		

7. फोटोस्टेट कार्य की दरें कागज, मशीन मय ऑपरेटर, समस्त कर एवं अन्य व्ययों सहित होगी। (विभाग द्वारा इसके अतिरिक्त कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।)

हस्ताक्षर

निविदादाता का नाम

एवं फर्म की मोहर

पता ————————

टेलीफोन न0 —————

निविदा की आवश्यक बिन्दु

1 टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा। निविदा विभाग की वेब साईट ***www.transport.rajasthan.gov.in*** एवं ***State public procurement portal*** से भी डाउनलोड़ किया जा सकेगा।

2 निविदा उचित रूप से मुहरबन्द लिफाफे में बंद की जानी चाहिए निविदा उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो वास्तव में इस प्रकार का कारोबार करती हो ।

3 टेण्डर के सभी प्रपत्र व अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रुप से होंगे।

4 निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

5 निविदा दिनांक 10.02.2020 को मध्यान्ह 1.00 बजे तक उप परिवहन आयुक्त (प्रशा.) जयपुर के कार्यालय में पहुॅच जानी चाहिये।

6 निविदा दिनांक 10.02.2020 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष शाम 3.00 बजे खोली जावेंगी ।

7 निविदा देने वाली फर्म की निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावे।

(1) यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूर्ण नाम,कार्यालय एवम् निवास का पूर्ण पता।

(2) यदि भागीदारी का है–भागीदारी–डीड,रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा सभी भागीदारों के नाम एवं पूर्ण पते ।

(3) यदि लिमिटेड फर्म है तो कम्पनी का मेमोरेण्डम व आर्टीकल ऑफ एसोसियेट्स तथा सभी डायरेक्टर्स के नाम एवं पूर्ण पते ।

(4) फर्म के गठन से किसी भी प्रकार के परिवर्तन की सूचना तुरन्त विभाग को दी जावे किन्तु परिवर्तन के अधीन किसी भी दायित्व से फर्म के पहले वाले सदस्य को मुक्त नहीं किया जा सकेगा ।

8. गत तीन वर्षों का फोटो स्टेट कार्य का अनुभव का पूर्ण विवरण एवं इससे सम्बन्धित राजकीय कार्यालय/अर्द्ध सरकारी कार्यालय का अनुभव प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे ।

9. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

10. आयुक्त परिवहन विभाग को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा इस के कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा ।

11. कार्य की गुणवत्ता के आधार पर न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी भी निविदा अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का अधिकार विभाग के पास सुरक्षित है।

12. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबंध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में, उनके वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे ।

13. दरें कागज, मशीन मय ऑपरेटर, कर एवं अन्य व्ययों सहित होगी। अनुबन्ध की अवधि के दौरान दरें **Price fall clause** के अधीन रहेगी तथा इसमें वृद्धि की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं होगी। फोटो स्टेट कार्य हेतु कार्मिक भी अनुबन्धकर्ता को ही उपलब्ध कराना होगा जो कार्य मे पूर्णतः दक्ष होना चाहिये। फोटो स्टेट हेतु मशीन तीन वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिये। मशीन क्रय के बिल की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ सलंग्न करनी होगी।

14. फोटो स्टेट का कार्य सामान्यतया प्रातः 09.30 बजे से 7 बजे तक कार्यालय में कराया जावेगा। विशेष परिस्थिति में आवश्यकता होने पर अवकाश के दिन भी एवं अतिरिक्त समय में भी फोटो स्टेट कार्य कराया जा सकेगा जिसके लिए अलग से कोई पारिश्रमिक अथवा शर्त मंजूर नहीं होगी ।

15. कागज के एक तरफ एवं दोनों तरफ कॉपी करने हेतु दरें पृथक–पृथक होनी चाहिये।

16. फोटो कॉपियों हेतु 75 जी.एस.एम. का उत्तम गुणवता का ब्राण्डेड कागज का ही प्रयोग किया जावेगा।

17. निविदा स्वीकृत कर लिये जाने के बाद यदि निविदाकार निर्धारित समय सीमा में सेवा उपलब्ध नहीं करा पाता है तो अनुबंध समाप्त समझा जाएगा।

18. निविदादाता निविदा स्वीकृत होने पर कार्य के किसी भी भाग/हिस्से या सम्पूर्ण कार्य को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेगा । ऐसा करने पर निविदा निरस्त कर दी जाएगी।

19. <u>अनुबन्ध की अवधि :</u> अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने से एक वर्ष की होगी। दोनों पक्ष आपसी सहमति से इस अवधि को अधिकतम तीन माह के लिये अनुबंधित दरों व शर्तों पर और बढ़ा सकेंगे। सात दिन का नोटिस देकर विभाग अपनी आवश्यकता के अनुसार कभी भी अनुबन्ध समाप्त कर सकता है।

20. यदि दर संविदा धारक, दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर समान माल संकर्यो या सेवाएं देन के लिये उसकी कीमत कम कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिये दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या कोट करने की तारीख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तदनुसार संशोधित की जायेगी।

21. <u>अनुबन्ध के अन्तर्गत भुगतान</u> : निविदादाता को एक पंजिका का संधारण करना होगा जिसमें इन्डेंट के आधार पर प्रत्येक दिन की गई फोटो कॉपियों का इन्द्राज होगा।

निविदादाता फोटो कॉपी हेतु जारी किये गये इन्डेंट के आधार पर फोटो कॉपी करेगा। उक्त इन्डेंट पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर होंगे। फर्म द्वारा भुगतान हेतु बिल के साथ मूल इंडेंट संलग्न करना होगा।

22. अनुबन्ध : सफल निविदादाता को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में रु.500/– के नॉन–ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर विभाग के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा।

23. संविदा अवधि में यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद पर परिवहन आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं दोनों को मान्य होगा ।

24. किसी भी कानूनी विवाद के लिए जयपुर महानगर स्थित न्यायालयों में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

25. फोटो स्टेट कार्य के दौरान कर्मियों से राजकीय सम्पत्ति की कोई क्षति होती है तो यह राशि अनुबंधकर्ता के भुगतान से वसूल करने का विभाग को अधिकार होगा ।

26. अनुबन्धकर्ता को फोटो स्टेट मशीन पर कार्य करने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों यदि स्वयं के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति हो, का पूर्ण ब्यौरा विभाग को देना होगा। अनुबन्धकर्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे कार्मिक पूर्णतः दक्ष है।

27. अनुमोदित प्रदायक अनुबन्धकर्ता किसी भी पत्र/पत्रादि की अतिरिक्त प्रति नहीं निकालेगा, न अपने पास रख सकेगा और न ही विभाग के अधिकृत व्यक्ति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध करवाएगा। इस शर्त की पालना के अभाव में अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार परिवहन विभाग को होगा।

28. विभाग द्वारा निविदादाता को मशीन रखने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जावेगा तथा फोटो स्टेट मशीन का विधुत खर्च विभाग द्वारा वहन किया जावेगा।

29. फोटो कॉपी हेतु नवीन व अत्याधुनिक मशीन प्रयोग में ली जावेगी।

30. फो. स्टे. मशीन खराब रहने की अवधि में वैकल्पिक रूप से फोटो कॉपी अन्यत्र जगह से करवाने की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी। अन्यथा फोटो कॉपी व्यय के अतिरिक्त प्रभार के साथ रू. 500/– प्रतिदिन की दर से शास्ति के रूप में कटौती की जाएगी।

31. फोटो स्टेट मशीन यदि बार–बार खराब होगी तो फोटो स्टेट मशीन को बदलने की व्यवस्था निविदादाता को करनी होगी।

32. फोटोस्टेट कार्य हेतु भुगतान की जाने वाली राशि में से नियमानुसार टी.डी.एस./ जी.एस.टी. टी.डी.एस की कटौती की जाएगी।

33. निविदा पर RTPP ACT तथा RTPP rules के प्रावधान पूर्णतया लागू होगें।

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम ——————
पता ——————
टेलीफोन न0 ————